

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी3/1.राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया,सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास,जयपुर 302005

क्रमांक एफ 1(7)(74)डीपीसी/सान्याअवि/2022/ 2263 | जयपुर, दिनांक 02.11.2022

—:: आदेश ::—

विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 19.10.2022 को आयोजित बैठक में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद की वर्ष 2019-20 व 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति से डेफर अधिकारियों के अभिलेख पूर्ति किये जाने पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया।

अभिलेखों का अवलोकन करने पर समिति द्वारा डेफर निम्नांकित अधिकारियों के अभिलेख पूर्ण होने के कारण पदोन्नति हेतु की गई अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष/दिनांक से परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (एल-11) से जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा समकक्ष (एल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष/दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री सुरेशचन्द शर्मा	UR	2019-20/01.04.2019	प्रोफॉर्मा पदोन्नति (से.नि. दि. 31.03.2020)
2.	सुश्री पिकी गोडवाल	SC	2019-20/01.04.2019	-
3.	श्री भंवर सिंह राजपूत	UR	2022-23/01.04.2022	-
4.	श्री विमलेश कुमार	UR	2022-23/01.04.2022	-

अनुसूचित क्षेत्र (TSP)

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष/दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री जय प्रकाश शुक्ला	UR	2022-23/01.04.2022	-

पदोन्नत अधिकारी क्र.सं. 02 से 04 (Non-TSP) तथा 01 (TSP) वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण कर निदेशालय, सान्याअवि, जयपुर को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। इनको पदोन्नति का वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। श्री सुरेशचन्द शर्मा को पदोन्नति दिनांक से सेवानिवृत्ति दिनांक तक का काल्पनिक लाभ देय होगा।

(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 1(7)(11)डीपीसी/सान्याअवि/2022/ 22632-9 जयपुर, दिनांक:- 02.11.2022

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
 4. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, जयपुर।
 5. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
 6. संस्थापन प्रशाखा (पी-1), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को वेबसाइट पर संचारित किये जाने हेतु।
 7. संबंधित अधिकारी सुश्री/श्री
 8. व्यक्तिगत पत्रावली सुश्री/श्री
 9. आदेश पत्रावली।

(उम्रेंद सिंह)

अति० निदे० (सत० एवं प्रशा०)